

3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 03/2026

दायर दिनांक: 05.01.2026

उनवान

गीताबाई पत्नि सुभाष जाति दांगी नि. गुराडिया तहसील पिडावा हाल नि.
सोयतकलां म.प्र.

- प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 06/05/2026



प्रार्थीया गीताबाई पत्नि सुभाष जाति दांगी नि. गुराडिया तहसील पिडावा हाल नि. सोयतकलां म.प्र. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बाबत् रिकॉर्ड दुरुस्ती पेश किया गया। सहमति बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के परिपेक्ष में पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों/रेकार्ड, गीताबाई का आधार कार्ड (617637677752), पेनकार्ड (EYOPD5371M), भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र (JYS0070383), बैंक खाता पासबुक, परिवार आई डी 24852844, ई-श्रम कार्ड (710573830743), ग्राम गुराडिया का नामा.सं. 1140 दिनांक 22.08.2025, नामा.सं. 265 दिनांक 14.11.1995, जमाबंदी सं. 2070-73 खाता सं. 111 एवं तहसीलदार पिडावा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 196 दिनांक 24.02.2026 आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पिडावा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त किये जाने में सहमत है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुराडिया प०म० गुराडिया तहसील पिडावा की जमाबन्दी सर्वे संवत् 2074-77 के खाता संख्या 126 में दर्ज प्रविष्टि



(Signature)

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज.)




(प्रार्थी/खातेदार के नाम) को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में निम्नलिखित रूप से अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार गण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम गुराडिया प0म0 गुराडिया तहसील पिडावा	126	कालीबाई पुत्री देवीलाल	गीताबाई उर्फ कालीबाई पुत्री देवीलाल

तहसीलदार पिडावा आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना करना सुनिश्चित करें।




 06/5/26
 उपखण्ड अधिकारी पिडावा
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला झालावाड राज0
 पिडावा, जिला झालावाड (राज0)